न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम गंगादेवी पत्नी बनाराम मेघवाल निवासी दीपपुरा

प्रा.पत्र नम्बर 111/2022 **GCMS No.2022/221**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22/7/2022	अप्रार्थी गंगोदेवी पत्नी बेगाराम मेघवाल दीपपुरा एवं उनके अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर चौधरी के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3467 / 1408 रकबा 1.5850 हैक्टर संयुक्त खातेदारी में स्थित है, अप्रार्थी की भूमि खातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है, उपरोक्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के प्रारूप–11क्रमांक / न.पा.कु. / भूमि / 2019–20 / 6695 दि. 11.10.2019 के आवासीय प्रयोजन आदेश जारी हो चुके है जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की है, उक्त आदेश अनुसार नामान्तरकरण तहसील स्तर पर दर्ज होने से शेष रहा है, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व दिनॉक 24.06.2022 को एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरान की भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज कराकर आगे की कार्यवाही की जाना शेष है, प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथ पत्र एवं प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के द्वारा जारी आदेश प्रारूप–11क्रमांक / न.पा.कु. / भूमि / 2019–20 / 6695 दि. 11.10.2019 के आवासीय प्रयोजन का अवलोकन किया गया, प्रथम दृष्टया मामला सुवधि का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 24.06.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	